

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 568 / 2012 / टोंक.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आर. टी. इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रियल एरिया, टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 569 / 2012 / टोंक.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेश प्रोडक्ट्स, टोंक.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जे. एन. शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28 / 04 / 2017

निर्णय

1. यह दोनों अपीलें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-टोंक की ओर से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर के आदेश दिनांक 19.08.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें उक्त दोनों प्रत्यर्थी व्यवहारियों के विरुद्ध पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2011 को अपीलीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर अपास्त किया गया है कि व्यवसायियों के मूल कर निर्धारण आदेशों को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 30 के तहत पुनर्निर्धारण किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों में तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु समान होने से एवं एक ही अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध होने से इनका निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है जिसकी प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उक्त दोनों व्यवहारियों द्वारा राज्य सरकार की अन्तर्राज्यीय विक्रय पर बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1998 के तहत लाभ लेने का प्रमाण-पत्र प्राप्त था जिसमें इन्हें विस्तारित क्षमता पर एक निश्चित प्रतिशत यथा देय कर की 70 एवं 60 प्रतिशत राशि की कर से मुक्ति लेने की पात्रता थी। इस योजना के तहत दोनों ही व्यवसायियों के वर्ष 2002-03 के नियमित कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 एवं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(6) के तहत दिनांक 06.07.2004 को पारित करते हुए व्यवसायियों द्वारा दर्शाये गये टर्नओवर अनुसार

लगातार.....2

करमुक्ति का लाभ प्रदान कर दिया गया था। वर्ष 2008 में कर निर्धारण अधिकारी को यह ध्यान में आने पर कि उक्त व्यवसायियों को प्रोत्साहन योजना के तहत जो कर से मुक्ति का लाभ प्रदान किया गया था वह उस उत्पादन पर ही प्राप्त योग्य था जो विस्तार से पूर्व उत्पादन क्षमता के 80 प्रतिशत की प्राप्ति के बाद का उत्पादन हो जबकि मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.07.2004 में करमुक्ति का लाभ व्यवसायी के पूरे उत्पादन पर ही दे दिया गया था जो त्रुटिपूर्ण होने से इसे छूटा हुआ कर निर्धारण मानते हुए अधिनियम 1994 की धारा 30 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए अधिक प्राप्त लाभ को निरस्त करते हुए उस राशि को राजकोष में अदेय होना अवधारित कर मय ब्याज क्रमशः मैसर्स आर.टी.इण्डस्ट्रीज एण्ड कम्पनी में रूपये 7,49,223/- एवं मैसर्स राजेश प्रोडक्ट्स में रूपये 12,19,613/- की मांग सृजित की गयी। उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलें की जाने पर अपीलीय अधिकारी ने दोनों ही प्रकरणों में दिनांक 19.08.2011 को यह निर्णय किया कि इन व्यवसायियों के नियमित कर निर्धारण आदेश अधिनियम 1994 की धारा 29(6) में करते समय व्यवहारी का पूर्ण टर्नओवर का निर्धारण कर दिया गया था एवं पुनः उक्त विवादित आदेश दिनांक 31.03.2011 में भी उसी टर्नओवर को assess किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि व्यवसायियों का कोई टर्नओवर पूर्व में छूटा हुआ नहीं था एवं उसी व्यवसायी का धारा 30 के स्पष्टीकरण के तहत पुनः कर निर्धारण नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों का हवाला भी दिया है जिसमें राजस्थान ट्रेडर्स गंगापुरसिटी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, गंगापुरसिटी 14 टैक्स अपडेट 259 के निर्णय के सारांश को उद्धरित किया गया है।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं मिसलों का अवलोकन किया गया।
5. विभाग की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुए तर्क दिया कि मूल कर निर्धारण आदेश में प्रोत्साहन योजना के तहत जो लाभ स्वीकार किया गया था उसके लिये दोनों ही व्यवसायी पात्रता नहीं रखते थे क्योंकि पात्रता प्रमाण-पत्र के अनुसार एवं प्रोत्साहन योजना के प्रावधानों के तहत करमुक्ति का लाभ केवल व्यवसायियों द्वारा विस्तारित क्षमता पर ही देय था जिसमें यह शर्त सम्मिलित थी कि मूल इकाई की क्षमता के 80 प्रतिशत उत्पादन से अधिक उत्पादन पर किये गये विक्रय पर ही करमुक्ति का लाभ प्राप्त होगा परन्तु मूल कर निर्धारण आदेश में पूरा लाभ दे दिया जाने से अधिनियम की धारा 30(1)(बी) के तहत कर का भुगतान कम होने से इसे escapment माना जाना पूर्णतया विधिसम्मत है। फलतः अपीलीय आदेश को अपास्त करने का अनुरोध किया।




6. प्रत्यर्था व्यवहारियों की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधि एवं न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में विधिसम्मत होने से विभाग की अपीलें अस्वीकार योग्य हैं। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायिक निर्णयों के इसी बिन्दु पर हाल में दिये गये निर्णयों का भी हवाला दिया।

7. दोनों ही प्रकरणों के कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2011 से यह स्पष्ट है कि प्रथम कर निर्धारण आदेश वर्ष 2004 में पारित करते समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पूरे टर्नओवर को प्रस्तुत किया गया था एवं कर निर्धारण अधिकारी ने त्रुटि कारित करते हुए व्यवसायियों को प्राप्त प्रमाण-पत्र से अनुमत लाभ से अधिक लाभ प्रदान कर दिया गया क्योंकि प्रोत्साहन योजना के अनुसार इन व्यवसायियों को 80 प्रतिशत क्षमता से अधिक उत्पादन पर ही यह लाभ प्राप्त था इस तरह मूल कर निर्धारण आदेश में यह त्रुटि की गयी थी जो निश्चित रूप से Mistake apparent on record थी क्योंकि यह गणना की भूल थी। इस तरह केवल उस त्रुटि को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं परन्तु अधिनियम की धारा 30 के स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसा कर निर्धारण आदेश बिना किसी भिन्न तथ्यों के या छूटे हुए टर्नओवर के पारित नहीं किया जा सकता। धारा 30 निम्न प्रकार है :-

Section 30. Escaped assessment-

(1) An assessment -

- (a) of a person who is liable to get registration but has not got himself registered; or
- (b) in which, for any reason, the levy of tax or any fee or sum payable under the Act has been escaped wholly or in part; or
- (c) wherein tax has been wholly or in part unassessed or under-assessed in any way and under any circumstances,

shall be deemed an escaped assessment and the assessing authority shall on the basis of the material on record or after making such enquiry as it may consider necessary, complete such assessment within the limit provided in sub-section (3).

Explanation : The assessment under this section shall not include that part of business which has already been assessed under section 29.

(2) Where the Commissioner or a Deputy Commissioner (Administration) has reason to believe that a dealer has escaped assessment to tax in any manner provided in sub-section (1), he may at any time, subject to the time limit specified in sub-section (3), either direct the assessing authority to assess the tax or the fee or other sum or himself proceed to assess the same.



लगातार.....4

(3) No notice under sub-sections (1) and (2) shall be issued in respect of any escaped assessment for any year after the expiry of five years and no assessment under the said sub-section shall be completed after the expiry of eight years, from the end of the relevant assessment year, but this limitation shall not be applicable to any assessment to be made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in an order passed by an appellate authority or the Tax board or a competent court.

8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के इसी बिन्दु पर दिये गये निर्णय सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स-II, जयपुर बनाम मैसर्स आर. एस. इलेक्ट्रिकल्स, सवाई माधोपुर (एस.बी. रिवीजन नं० 73/11 निर्णय दिनांक 13.12.2013) एवं वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-ए, जोधपुर बनाम मैसर्स पृथ्वीसिंह एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 3948/99 तथा भीलवाड़ा सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 12 टैक्स अपडेट 227 में यह निर्णीत किया गया है कि पूर्व में किये गये कर निर्धारण जिनमें समस्त बिक्री घोषित की हुई थी उन कर निर्धारण आदेशों को बिना किसी अन्य तथ्यों के पुनः खोला नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स आर. एस. इलेक्ट्रिकल्स के प्रकरण में यह स्पष्ट अवधारित किया है कि "escaping of assessment and error of judgment by the assessing authority" भिन्न स्थितियां हैं एवं error of judgment के लिये संशोधन अथवा रिवीजन किया जा सकता है परन्तु उसे escapment की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का अंश उद्धरित करना उचित होगा :-


"In my considered opinion the Tax Board has rightly distinguished between an escaping of assessment and error of judgment by the assessing authority held that the remedy for an error of judgment by the assessing authority lay in filing a revision petition under Section 15(1) of the Act of 1954 before the Commissioner and not by way of resorting to Section 12 of the Act of 1954 for recovering escaped tax. In the facts of the case, it is admitted that there was full disclosure by the assessee including profit accrued. Yet profit accrued was not taxed owing to an error of judgment by the assessing authority.





—: 5 :—

1-2. अपील संख्या - 568 / 2012 व 569 / 2012 / टोंक.

9. उपरोक्त विवेचन के मददेनजर प्रत्यर्थी व्यवहारियों की अपीलें अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर कर निर्धारण आदेशों को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है, अतः विभागीय अपीलें खारिज होने योग्य पायी जाती हैं।
10. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।
11. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


28.4.2012
(मदन लाल)
सदस्य